HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. 5th Suspension Of Sentence Application No. 1673/2025
In
S. B. Criminal Appeal No. 2053/2021

Kishan S/o Ramsahay, Aged About 33 Years, Resident Of Sherpur, Police Station Kotwali, Sawai Madhopur (Raj.)
(At Present In District Jail, Sawai Madhopur)

----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shyam Bihari Gautam, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Ms. Chanchal, Adv. for Mr. Rajneesh Gupta, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

27/02/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत पंचम सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

2. विद्वान विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सवाईमाधोपुर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **84/2018 (161/2017)** में पारित निर्णय 23.11.2021 के माध्यम से प्रार्थी–अभियुक्त को धारा 363, 366ए, 376(1) भा.दं.सं. तथा धारा 5/6 पोक्सो अधिनियम के अपराध में अधिकतम 10 वर्ष के **कठोर** कारावास से दंडित किया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी का निवेदन है कि अभियुक्त लम्बे समय से कारावास की सजा भुगत रहा है, अपील के निस्तारण में समय

लगेगा, दोषसिद्धी हेतु कोई विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अपील में अभियुक्त के सफल होने की पूर्ण संभावना है, अतः यह सजा स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुए सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया एवं समस्त तथ्यों व तर्कों पर विचार किया गया।

6. वर्तमान मामले में अभियुक्त के साढ़े पंद्रह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोप हैं, पूर्ववर्ती चार दण्डादेश आवेदन सभी तर्कों को विचार में लेने के उपरांत खारिज किये गये हैं। अभियुक्त द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP (Crl.) 9947/2023 प्रस्तुत की गई थी, जो दिनांक 25.08.2023 को अभियुक्त द्वारा वापिस ली गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितियों में परिवर्तन अथवा अभिरक्षा अवधि सारवान होने पर नवीन आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता दी गई थी। प्रकरण में अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि लगभग 4 वर्ष 10 माह हुई है।

7. अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, उसकी विश्वसनीयता, अपराध की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना यह पंचम सजा स्थगन आवेदन/जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **किशन पुत्र रामसहाय** की ओर से प्रस्तुत यह पंचम सजा स्थगन/जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /01